सख्याः 5–8/2011–ई0एक्स0एन0–एच0–लेखा –
राज्य कर एवं आबकारी विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग ब्लाक न0 30, एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–09 में, अनुपयोगी कार्यालय फर्नीचर, पुराने टायरों, अखबारो व अन्य लोहे के सामान इत्यादि की नीलामी दिनांक 16·6·023 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय परिसर में की जाएगी।

नीलामी हेतू नियम व शर्तेः–

1. बोली दाता, कार्यालय में फर्नीचर, पुराने टायरों, अखबारो व अन्य लोहे के सामान इत्यादि की नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक निरीक्षण कर सकता है।
2. बोली दाताओं को बोली देने से पूर्व पुराने फर्नीचर, टायरों, व अन्य लोहे के सामान इत्यादि की नीलामी हेतू 5000/– रुपये व पुराने अखबारो की निलामी हेतू 500/–रूपये की नकद राशि, धरोहर राशि के रुप में नीलामी के स्थान पर सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करवानी होगी, जिसे बोली पूर्ण होने पर वापिस कर दिया जायेगा।
3. उच्चतम बोली दाता को नीलामी स्वीकृति के उपरान्त नीलामी की समस्त राशि तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करवानी होगी तथा उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को नीलामी राशि में समायोजित किया जायेगा।
4. उच्चतम बोली दाता को परिसर के स्टोर से नीलाम किये गये सामान को उठाने व ले जाने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका हो।
5. नीलाम की गई वस्तुओं को सफल बोली दाता द्वारा इस कार्यालय परिसर से दो दिन के भीतर उठाना होगा अन्यथा विलम्ब हेतु नीलाम किये गये सामान के लिए प्रत्येक दिन 200/– रुपये प्रतिदिन हर्जाना अदा करना होगा।
6. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0प्र0, को बिना कारण बताए बोली अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

सुनील शर्मा (हि0प्र0से0)
o/c अति0 आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (मु0) (प्रशा0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–9
दूरभाष स0–2621635

पृष्ठांकन संख्याः 5–8/2011–ई0एक्स0एन0–एच0–लेखा– 16113-33 दिनांक 08-06- 2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव आबकारी व कराधान, हिमाचल प्रदेश, सरकार शिमला 171002।
2. नियन्त्रक भण्डार, हि0प्र0।
3. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हि0प्र0।
4. महाप्रबन्ध्क, जिला उद्योग केन्द्र, शिमला।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, U.S. Club, शिमला–171001.
6. पुलिस अधीक्षक, शिमला, हि0प्र0।
7. समस्त उप–आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार /प्रसार करें।
8. सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ,जिला किन्नौर, स्थित रिकांगपिओं, को व्यापक प्रचार /प्रसार हेतु प्रेषित है।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड व शिमला स्थित विभिन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार /प्रसार हेतु प्रेषित है।
10. IT Cell को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता कि नीलामी सूचना को विभाग की साईट पर अपलोड किया जाए।

सुनील शर्मा (हि0प्र0से0)
o/c अति0 आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (मु0) (प्रशा0)
हिमाचल प्रदेश शिमला–9
दूरभाष स0–2621635

Received on dt. 14/6/23
uploaded